भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला क्षेत्रों के विकास हेतु योजना

2577. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कोयला क्षेत्रों के विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो विकसित किए जाने वाले कोयला क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख). कोल इंडिया लिमिटेड के केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान ने झरिया कोयला क्षेत्रों के कोयलाधारी क्षेत्रों के लिए पोलैण्ड की सहायता से एक मास्टर प्लान बनाया था।

योजना में नौ बड़ी ओपेनकास्ट खानों और इक्कीस बड़े भूमिगत खनन ब्लाकों के निर्माण की और साथ ही सभी सतही आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निर्माण की व्यवस्था है। योजना को लागू करने में रु० 2000 करोड़ से ऊपर के अनुमानित निवेश की आवश्यकदा होगी और आशा है कि यह योजना सन् 2000 ईस्वी तक पूरी हो जाने पर इससे 56 मिलियन टन कोककर और अकोककर कोयले का उत्पादन होगा।

राज्यवार कुकिंग गैस कनैक्शन

2578. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में इस समय कुकिंग गैस कनैक्शनों की राज्य-वार संख्या क्या है ;

(ख) इस समय कितने कनैक्शनों की राज्य-वार मांग है तथा वर्ष 1982 तक इसकी अनुमानित मांग क्या होगी तथा इस मांग को किस हद तक पूरा किए जाने की संभावना है ;

(ग) कुकिंग गैस कनैक्शनों के वर्तमान डीलरों की श्रेणी-वार संख्या क्या है और निकट भविष्य में उनकी श्रेणी-वार संख्या में कितनी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) डीलरों के पास न्यूनतम तथा अधिकतम कनैक्शनों की संख्या क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्तमान में देश में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनैक्शनों के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरे विवरण–I में दिये गये हैं।

(ख) वैकल्पिक इंधनों जसे कि मिट्टी का तेल, लकड़ी इत्यादि के प्रयोग को देखते हुए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की मांग के बारे में बताना सम्भव नहीं है। देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में वृद्धि से, यह अनुमान है कि आने वाले वर्षों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की मांग को पूरी तरह पूरा किया जा सकेगा।

(ग) विद्यमान वितरकों तथा 1981-82 के लिए प्रस्तावित वितरकों के राज्यवार/वर्गवार ब्यौरे विवरण–II तथा III में दिये गये हैं।

(घ) विभिन्न स्थलों में वितरकों द्वारा गैस कनैक्शन जारी करने की निर्धारित की गई उच्चतम सीमा नीचे दी गई है :

बाजार	प्रतिमाह रिफिलों की संख्या
बम्बई	6,000
दिल्ली	4,000
अन्य शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है	3,500
2 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर	3,000
अन्य स्थान	2,500

सहकारी समितियों को इस उच्चतम सीमा से छूट दी गयी है।

विवरण-1

दिनांक 30-9-1981 की यथास्थिति को खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं के राज्यवार ब्यौरे :—

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम		उपभोक्ताओं की संख्या
1	जम्मू और काश्मीर	21,460
2	आन्ध्र प्रदेश	2,78,523
3	महाराष्ट्र	10,50,252
4	कर्नाटक	1,92,897
5	उड़ीसा	43,469
6	मध्य प्रदेश	1,94,075
7	गुजरात	3,80,551
8	राजस्थान	58,084
9	हरियाणा	62,988
10	असम*	44,757
11	हिमाचल प्रदेश	8,769
12	बिहार	1,19,013
13	केरल	68,823
14	पंजाब	59,943
15	तमिलनाडु**	2,91,884
16	उत्तर प्रदेश	3,10,893
17	पश्चिम बंगाल	2,03,960
18	चण्डीगढ़	28,548
19	गोआ	15,224
20	दिल्ली	3,57,635
	जोड़	37,91,748

* मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित।

** पांडिचेरी सहित

विवरण-II

दिनांक 31-7-1981 की यथास्थिति को एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/उपडिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या :—

	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	बेरो० स्ना० बेरो० इंजी० स्ना०	शारीरिक रूप से विकलांग	योग
1	आन्ध्र प्रदेश	86	1	—	5	—	92
2	असम	5	2	—	3	—	10
3	बिहार	26	2	1	5	—	34
4	गुजरात	106	5	1	6	—	118
5	हरियाणा	17	—	—	—	—	17
6	हिमाचल प्रदेश	—	2	—	1	—	3
7	जम्मू और काश्मीर	19	—	—	—	—	19
8	कर्नाटक	61	3	—	2	—	66
9	केरल	13	1	—	8	—	22
10	मध्य प्रदेश	52	1	—	2	—	55
11	महाराष्ट्र	291	8	1	2	—	302
12	मणिपुर	1	—	1	—	—	1
13	मेघालय	2	—	—	—	—	2
14	नागालैंड	1	—	1	—	—	2
15	उड़ीसा	18	1	1	—	—	20
16	पंजाब	10	—	—	3	—	13
18	राजस्थान	10	—	—	1	—	11
18	सिक्किम	1	—	—	—	—	1
19	तमिलनाडु	44	2	—	27	—	73
20.	त्रिपुरा	—	—	1	—	—	1
21.	उत्तर प्रदेश	64	3	—	3	1	71
22.	पश्चिम बंगाल	86	5	—	—	1	92
23.	चण्डीगढ़	3	2	—	1	—	6
24.	दिल्ली	80	3	—	—	—	83
25.	मिजोरम	—	—	1	—	—	1
26.	पांडिचेरी	1	—	—	1	—	2
27.	गोआ, दमन और दीव	14	—	—	—	—	14
	योग	1011	41	8	70	2	1131

*एस. सी.=अनुसूचित जाति, यू. जी.=बेरोजगार स्नातक, पी. एच. शारीरिक रूप से विकलांग
एस. टी.=अनुसूचित जनजाति, यू. ई. जी., —बेरोजगार इंजीनियर स्नातक

विवरण—III

वर्ष 1981-82 के लिये तरलीकृत पैट्रोलियम गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की योजना

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	12
बिहार	20
गुजरात	21
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	4
कर्नाटक	23
केरल	10
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	29
उड़ीसा	15
पंजाब	28
राजस्थान	33
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	65
पश्चिम बंगाल	11
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	4
गोआ, दमन और दीव	4
जम्मू और काश्मीर	6
योग	352

* प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के सम्बन्ध में यह डिस्ट्रीब्यूटरशिपें निम्नलिखित अनुपात में प्रदान की जायेंगी :—

श्रेणी	प्रतिशत
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25
बेरोजगार स्नातक/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक	20
शारीरिक रूप से विकलांग	15
बकाया एस. डब्ल्यू./एफ० एफ०	10
अन्य	30